

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।

सेवा में

प्रबन्धक,
वेदान्ता इंटरनेशनल स्कूल, बगहीडाण, बनकट,
आजमगढ़।

पत्रांक/ 76118-22 /2021-22 दिनांक : 28/03/22
विषय:- विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

शासनादेश संख्या-646-15-06-97-18 एस0(7)/89 दिनांक-13-08-1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार कक्षा-1 से 8 तक स्थायी मान्यता इस आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। विद्यालय में पदसृजन पूर्व में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया ही मान्य होगा। इस आदेश के साथ कोई अतिरिक्त पदसृजन प्रदान नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार पदसृजन की स्थिति पूर्ववत् रहेगी। यह मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि आप द्वारा विद्यालय की मान्यता हेतु दर्शाये गये भूमि, भवन एवं अन्य उल्लिखित संशाधनों का उपयोग इस विद्यालय के लिए ही किया जायेगा। स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत चेक द्वारा वेतन भुगतान करना होगा। उल्लंघन की दशा में अथवा भविष्य में प्रबन्धक द्वारा छिपाये गये तथ्य के प्रकाश में आने या फर्जी/कूटरचित अभिलेख पाये जाने पर तत्काल मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय,

(चन्द्रजीत सिंह यादव)

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।

पु0सं0/ 76118-22 /2021-22 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
- 2- संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
- 3- सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।
- 5- वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, आजमगढ़।
- 6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़।
- 7- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र, आजमगढ़।
- 8- कार्यालय गार्ड फाईल।

प्रबन्धक वेदान्ता इंटरनेशनल स्कूल
आजमगढ़।

(चन्द्रजीत सिंह यादव)

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।